न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2008/309

1. छीतरमल पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या रैगर, निवासी छितरौली, तहसील सांगानेर, हाल बोवास, तहसील सांभर जिला जयपुर।

– वादीगण –

बनाम

1. श्रीमती लछमा पुत्री घासी रैगर पत्नी सीताराम रैगर, निवासी चौरू, तहसील फागी जिला जयपुर हाल बोवास, तहसील सांभर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आरटीए 1955

निर्णय – दिनांक 20/11/19

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2058 कुल किता 31 रकबा 4.79 हैक्टयर भूमि में 1/4 हिस्सा श्री घीसा राम उर्फ घीस्या पुत्र हरदेव के नाम अंकित थी एवं उनका देहान्त होने के बाद दिनांक 20.12.2002 को उनकी पत्नी दाखा देवी पत्नी स्व0 श्री घीसा राम उर्फ घीस्या रैगर, निवासी ग्राम छीतरौली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने एक वसीयत वादी के पक्ष में कर दी थी। वसीयतकर्ता श्रीमती दाखा देवी का देहान्त दिनांक 02.01.2003 को हुआ एवं उसका चाल चलावा एवं मृत्यु भोज इत्यादि वादी ने ही किया। वसीयत दिनांक से प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर काबिज है एवं इस मामले में एक पत्रावली न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में भी प्रकरण संख्या 20/2006 के अन्तर्गत चली जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने बयान दिनांक 29.04.2005 में यह अंकित किया कि वादी छीतर पुत्र श्री गंगाराम उर्फ गंगल्या उसे सगी बहिन की तरह मानता है तथा उसके माता–पिता की मृत्यु पर सारा क्रियाकर्म, द्वादशा व अन्य सामाजिक कार्यक्रम छीतर ने ही किए है तथा वो उसे सगी बहिन की तरह की मानता है इसलिए उसके माता–पिता द्वारा छोडी गई चल–अचल सम्पत्ति का मालिक छीतर ही है एवं वह बतौर दत्तक पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति रैगर की भूमि का नामान्तरकरण उसके नाम खोल दिया जाए

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। यही नहीं दिनांक 29.04.2005 को उक्त अदालत में प्रतिवादी लक्ष्मा के पति सीताराम ने भी नामान्तरकरण वादी के नाम खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं की लेकिन दिनांक 20.11.2006 को जमाबन्दी की नकल लेने पर जाहिर आया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1841 लगायत 1849, 1852, 1855 लगायत 1870, 2089, 2091, 2093, 2094, 2095 कुल किता 31 कुल रकबा 4.79 हैक्टेयर भूमि की 1/4 हिस्से का विरासत का नामान्तकरण संख्या 781 दिनांक 06.11.2006 को घीसा पुत्र हरदेव की भूमि प्रतिवादी लछमा देवी पुत्री घीसा के नाम अंकित कर दी जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निरस्त किया जावें। इससे वाद कारण उत्पन्न होकर यह बरकरार है। इस नकल लेने के बाद वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि वादी के नाम कराने हेतु दिनांक 10.12.2006 को कहा तो वो इन्कार हो गई। अतः यह दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इस आशय की डिक्री पारित की जावे। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान, रहन व स्थानान्तरित नहीं करें एवं राजस्व रेकार्ड में आज की स्थिति कायम रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल जमाबंदी संवत 2058 से 2061 ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर की प्रमाणित प्रति, नकल वसीयतनामा की मूल प्रति, नकल प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण खुलवाने बाबत तहसीलदार महोदय को, नकल हल्का पटवारी रिपोर्ट पटवारी बगरू कलां, नकल आदेश दिनांक 09.09.2005 श्रीमान तहसीलदार सांगानेर, नकल बयान श्रीमती लक्षमा देवी, नकल बयान श्री छीतर, नकल बयान सीताराम पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि :–

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी कृषि भूमि एवं श्री घीसाराम उर्फ घिस्या की मृत्यु होना स्वीकार है। घीसाराम उर्फ घीस्या रैगर की पत्नी यानिकि प्रतिवादी संख्या 1 की माता ने वादी के पक्ष में कभी कोई वसीयत नही की हैं बल्कि वादी प्रतिवादी संख्या एक के माता पिता की खातेदारी कृषि भूमि को धोखाधडी से हडप करना चाहता हैं इस उद्धेशय से वादी ने झूठी वसीयत तैयार की है। वादी द्वारा श्रीमती दाखा देवी का कोई चाल चलावा एवं मृत्युभोज नही किया गया है, प्रतिवादी संख्या एक द्वारा ही अपनी माता श्रीमती दांखा देवी की सेवा सुश्रषा देखभाल ईलाज तथा मृत्यु उपरान्त होने वाले समस्त क्रियाकर्म एवं मृत्युभोज का समस्त खर्चा प्रतिवादी संख्या एक स्वयं द्वारा किया गया था। वादी प्रतिवादी संख्या एक का भाई नही है और न ही वादी ने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या एक के माता पिता से किसी प्रकार का कोई संबंध है और न ही प्रतिवादी संख्या एक के माता पिता ने वादी को गोद लिया हैं। और न ही प्रतिवादी संख्या एक ने न्यायालय तहसीलदार के यहां वादी के पक्ष में कोई बयान दिये है वादी धोखाधडी से प्रतिवादी संख्या एक व उसके माता पिता की सम्पत्ति को नाजायज प्रकार से हडप करना चाहता है, प्रतिवादी संख्या एक के हक में खोला गया नामान्तरकरण विधिवत व पूर्णरूप से सही है, तथा प्रतिवादी संख्या एक वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या एक अपने माता पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण उनकी एकमात्र वारिस हैं और वह अपने माता पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करने की पूर्ण अधिकारी है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी के वाद पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

वाद में तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वकील वादी व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश नही करने पर साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो निम्न है :–

उपरोक्त प्रकरण श्रीमती दाखा पत्नी घीसा द्वारा दिनांक 20.12.2002 को प्रार्थी को बतौर दत्तक पुत्र स्वीकार करना जो प्रार्थी की चाची थी एवं उनके अन्तिम क्रियाकर्म बतौर दत्तक पुत्र सम्पन्न कराने के कारण एवं घीसा एवं श्रीमती दाखा की पुत्री लछमा के दिनांक 29.04.2005 के बयानों के आधार पर यह वाद प्रार्थी वादी ने प्रस्तुत किया है एवं नामान्तरकरण के प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने नामान्तरकरण खारिज करके प्रार्थी के विषय में निर्णय लेने हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को प्रति प्रेषित किया हुआ है। अतः निम्न साईटेशन के आधार पर जो भी उचित आदेश हो पारित किया जावेः–

क्र.सं. अपील का विवरण एवं निर्णय की तिथि	उनवान एवं न्यायालय का नाम	नजीर का विवरण
1. Appeal/Decreee/ 54/95/Jodhpur, decided on 03.04.1998.	State of Rajasthan through Tehsildar, Bhopalgarh versus Kishnaram s/o pemaram, by Caste Jat, r/o vill. Aasop. Teh. Bhopalgarh, dist. Jodhpur and others. Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer,	WILL – Will is valid even written on simple paper and unregistered.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

	RBJ(5) 1998, page 438 to 441	
2- Appeal No. 36/Alwar of 03(11947/03), decided on 18th September 2006.	Smt. Keshanti & Ors. V/s Ramdas Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer. RRD July, 2007, page 470-474	As per evidence 'R' is the adopted son of 'B' in the capacity of real son.
3- Civil Appeal No. 103 of 1997; Arising out of SLP(C) No. 12511 of 1996; decided on 06.01.1997.	Sitaramacharya (dead) Through LRs. versus Gururajacharya (dead) Through L.Rs. Supreme Court of India 1997 DNJ (SC) 227.	In the instant case admission made by respondent in earlier proceeding foung heavily loaded against him (Para 5) Appeal allowed.

इस वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों, दिनांक 26.07.2011 को स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं उपरोक्त दृष्टांत के आधार पर वादी को श्रीमती लक्षमा पुत्री घीसा एवं दाखा के साथ आराजी खसरा नंबर 1841 लगायत 1849, 1852, 1855 लगायत 1870, 2089, 2091, 2093, 2094, 2095 कुल किता 31 रकबा 4.79 हैक्टेयर भूमि जो ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में अवस्थित है एवं वादी के दत्तक पिता घीसा के नाम दर्ज थी एवं उसकी वसीयत दाखा पत्नी घीसा ने वादी के पक्ष में कर दी थी की खातेदारी घोषणा का वाद लछमा पुत्री घीसा एवं दाखा के साथ स्वीकार फरमाया जावें।

बहस वकील वादी का मूल पत्रावली मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कुल किता 31 कुल रकबा 4.79 हैक्टेयर में घीस्या पिता हरदेव का 1/4 हिस्सा निहित है। घीस्या की मृत्यु दिनांक 10.12.2002 को हो चुकी है। उसकी मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवम् मालिक उसकी पत्नी दाखा देवी थी। दाखा देवी ने उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये वसीयतनामा 50/– पचास रूपये स्टॉम्प पर दिनांक 20.12.2002 को छीतरमल पुत्र श्री गंगाराम उर्फ गंगल्या के नाम कर दी। वसीयतनामे में घीस्या व दाखा की जायन्दा पुत्री लछमा व दाखा के अलावा समाज के व्यक्तियों (लालाराम पीपलीवास, मदनलाल, ग्यारसीलाल, ओमप्रकाश, पोखर छीतरोली, बालूरामजी, कानाराम जोजोरिया छीतरोली) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। श्रीमती दाखा देवी का देहान्त भी दिनांक 02.01.2003 को हो चुका है। श्रीमती दाखा देवी की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या 781 दिनांक 06.11.2006 को घीसा पुत्र हरदेव की भूमि प्रतिवादी लछमा देवी पुत्री घीसा के नाम अंकित कर दी। वादी ने उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर वादी को घीसा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पुत्र हरदेव की भूमि का खातेदार घोषित कराने हेतु उक्त वाद पेश किया है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की माता ने वादी के पक्ष में कभी कोई वसीयत नही की है वादी ने झूठी वसीयत तैयार की है न ही प्रतिवादी संख्या 1 के माता पिता ने वादी को गोद लिया है। और न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय तहसीलदार के यहा वादी के पक्ष में कोई बयान दिये है। वाद में वादी ने ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नही किये है जिससे प्रतीत होता हो की वादी घीसा पुत्र हरदेव का दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 जो घीसा पुत्र हरदेव की जाईन्दा पुत्री है उसने भी वादी को अपने जवाब में दत्तक पुत्र नही माना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित नही समझते है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.12.13 13:01:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: